Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 16, Issue No. 9, June-2019, ISSN 2230-7540

"अनुसूचित जाति की महिलाओं की सामाजिक स्थिति का समाजशास्त्रीय अध्ययन" (बालोद जिले के गुण्डरदेही विकासखंड के विशेष संदर्भ में)

Chandraprabha Mahishwar[1]* Dr. Sapna Sharma Saraswat[2]

[1] Research Student, Research Center, Government Vishwanath Yadav Tamaskar Snatak Swasashi College, Durg, Chhattisgarh

[2] Research Director, Research Center, Government Vishwanath Yadav Tamaskar Snatak Swasashi College, Durg, Chhattisgarh

सार – ***प्रस्तुत शोधपत्र में गुण्डरदेही विकासखंड के अनुसूचित जाति महिलाओं की सामाजिक स्थिति का समाजशास्त्रीय अध्ययन किया गया है। यह विडंबना ही है कि अस्पृश्यता जैसी कुप्रथा हमारे समाज में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से विद्यमान है जो जाति व्यवस्था का सबसे अधिक क्रुर तत्व है। बहुत से लागे इसे नस्लवाद की एक सुदृढ़ प्रवृति मानते है। वर्तमान समय में भी अनुसूचित जाति संबंधी धारणाएं ज्यों की त्यों बनी हुई है, विभिन्न संवैधानिक व्यवस्थाओं के होते हुए भी इनकी सामाजिक स्थिति में सुधार आशाओं के अनुरूप परिलक्षित नही हुए है। वास्तविकता यही है कि इतनी बड़ी संख्या में होने के बावजूद भी अनुसूचित जाति आज भी देश में अपेक्षित हैं।***

----------X----------

परिचय-

भारत एक लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक देश है भारत देश की विशेषता है, "विविधता में एकता" क्योंकि विभिन्न जाति, धर्म, संस्कृति और परंपरा के लोग एकता के साथ रहते हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। किसी व्यक्ति की पहचान जाति विशेष, जातीय शाखा विशेष तथा परिवार विशेष के सदस्य के रूप में जानी और मानी जाती है। जाति व्यवस्था प्राचीन काल से ही भारतीय समाज में मौजूद है जो एक सामाजिक बुराई ही नही वरन् समाज की प्रगति में बाधा भी है। मानव सभ्यता का इतिहास गवाह है कि महिला अस्मिता, स्वतंत्रता व समानता का अधिकार सदा से ही उलझनपूर्ण रहा है। समाज में विद्यमान सम्पूर्ण व्यवस्था में महिलाओं को दोयम दर्जे का ही स्थान दिया गया। इस पुरुष प्रधान समाज और सामाजिक असमानता, अशिक्षा, अंधविश्वास, दहेज प्रथा, जातिगत छुआछुत, लिंग आधारित भेद ने स्थिति को और भी गंभीर कर दिया। महिलाएं वंचितों में भी वंचित मानी गई है। सामाजिक परंपराएं इन्हें और असहाय, व पराजित बनाती हैं। भारतीय समाज में महिलाएं शोषित तो है किन्तु इनमें महिलाओं का एक ऐसा वर्ग भी सम्मिलित है जिनमें महिलाओं की स्थिति ओर भी दयनीय एवं सोचनीय है जो सदियों से जाति से जुड़ी वैचारिक मान्यताओं के कारणरवश उपेक्षित, व शोषित है जिसे अनुसूचित जाति कहा जाता है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत में अनुसूचित जाति की कुल आबादी 25 प्रतिशत है। इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद भी यह समुदाय राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से काफी पिछड़ा हुआ है।

भारत गाँवो का देश है, पूरे विश्व भर में अपनी महान संस्कृति और पारंपरिक मूल्यों के लिये एक प्रसिद्ध देश है। अगर छत्तीसगढ़ के गाँवों का इतिहास देखें तो पता चलेगा कि यहाँ अनुसूचित जाति की महिलाओं की स्थिति दयनीय तथा चिंताजनक हैं। यहां महिलाएं अनेक कष्टों के साथ बुरी मान्यताओं का बोझ ढो रही है, मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। अनुसूचित जाति की महिलाएं जो अधिकांशतः अनौपचारिक, असंगठित क्षेत्र में हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और उत्पादक संसाधनों तक पहुंच अपर्याप्त है। अतः वे ज्यादातर सीमांत, गरीब और सामाजिक रूप से वंचित रह जाती हैं।

www.ignited.in

सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर तमाम प्रयासों के बावजूद अनुसूचित जाति की महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं लगातार सामने आती रहती हैं। स्वतत्रं ता प्राप्ति पश्चात् सरकार ने इन महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक उत्थान व विकास में बराबर की हिस्सेदारी के अवसर प्रदान करने हेतु अनेक कानूनों का र्निमाण कर उनके सशक्तीकरण को सुनिश्चित करने विशेष प्रयास किया है। अपवाद को छोड़कर यदि सम्रगता में देखा जाए तो वर्तमान समय में भी भारतीय समाज पुरूष प्रधान सोच से ग्रस्त है। लिंग संबंधी असमानता के आधारभूत कारण सामाजिक और आर्थिक ढांचे से जुड़े हैं, जो अनौपचारिक एवं औपचारिक मानकों तथा प्रथाओं पर आधारित है। अनेक अधिकारों, कानूनों के बावजूद अनुसूचित जाति की महिलाओं की सामाजिक स्थिति बेहद कमजोर व चिंताजनक है।

अध्ययन विषय का समाजशास्त्रीय महत्व

महिलाओं की स्थिति के मूल्यांकन हेतु उनकी सामाजिक रूपरेखा का अध्ययन करना आवश्यक है। सामाजिक संरचनाएंए सांस्कृतिक प्रतिमान एवं मूल्य प्रणालियों का प्रभाव पुरूषों और महिलाओं के व्यवहार संबंधी प्रत्याशाओं पर पड़ता है। समाजशास्त्रीय शोध में विषयवस्तु की विवचेना हेतु जनसमान्य के विचारों, विश्वासों, मूल्यों तथा मान्यताओं एवं दृष्टिकोणों को आधार बनाया जाता है। जहाँ शहरों में लोग जातिगत बंधनो से आगे बढ़ रहे है वही दूसरी ओर ग्रामीण समाज जाति को महत्व देता है, अब भी खोखली परम्पराओं की बेड़ियों में जकड़ा हुआ हैं। आज भी देश में लोग छुआछूत जैसी बुरी मानसिकता के शिकार हैं। देश के विकास हेतु महत्वपूर्ण पूर्व शर्त यह है प्रत्येक क्षेत्र में इन महिलाओं की समान सहभागिता हो, इससे ना केवल महिलाओं का विकास होगा वरन् समाज भी प्रगति की ओर अग्रसर होगा। चूँकि अनुसूचित जाति की महिलाएं सामाजिक पिछड़ेपन के कारण ही समाज की मुख्य धारा से पीछे रह गई है। अतः इस दृष्टि से आवश्यक है कि इस विषय पर समाजशास्त्रीय अध्ययन हो।

शोध विषय का उद्देश्य

(1) अनुसूचित जाति की महिलाओं के सांस्कृतिक पृष्टिभूमि का अध्ययन करना।

(2) अनुसूचित जाति की महिलाओं की सामाजिक प्रस्थिति का अध्ययन करना।

शोध विषय की उपकल्पना-

(1) अनुसूचित जाति की महिलाओं के प्रति सांस्कृतिक दृष्टिकोण व व्यवहार में भेदभाव है।

(2) अनुसूचित जाति की महिलाओं की सामाजिक स्थिति निम्न हो सकती है।

तथ्य संकलन की प्रविधियाँ एवं उपकरण-

प्रस्तुत शोध कार्य में छत्तीसगढ़ राज्य के नवनिर्मित जिला बालोद के अन्तर्गत गुण्डरदेही विकासखंड का चुनाव किया गया है। अध्ययन की दृष्टि से अनु.जाति की महिलाओं की संख्या के आधार पर तीन बड़े एवं तीन छोटे गाँव का चयन किया गया है। शोध कार्य में 317 उत्तरदाताओं का चयन दैव निदर्शन पद्धति के माध्यम से किया गया है। प्रस्तुत शोध में महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में साक्षात्कार अनुसूची एवं अवलोकन प्रविधी के द्वारा तथ्यों का संकलन व शोधकार्य हेतु अन्वेषणात्मक शोध प्ररचना का चुनाव किया गया है।

प्राप्त तथ्यों का वर्गीकरण, सारणीयन व विश्लेषण -

उत्तरदाताओं से प्राचीन रीति रिवाजो, परम्पराओं के पालन की जानकारी- जन्म से लेकर मृत्यु तक महिलाओं का सम्पूर्ण जीवन पंरम्पराओं व धर्म द्वारा निर्धारित तथा नियंत्रित होता है, अनेक परिवर्तनों के तहत ये समय-समय पर बदलते, बनते रहे है और इन्हीं कारणवश सामाजिक दुर्बलताएं आज भी अपने नवीनतम रूप में ही सही, मौजुद है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं सामाजिक रूप से रूढ़ीवादी परम्परा का निर्वहन करने के लिए मजबूर है।

तालिका क्रमांक- 1

उत्तरदाताओं से प्राचीन रीति रिवाजो, परम्पराओं के पालन की जानकारी

कमांक	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हाँ	221	69.71
2.	नही	12	3.79
3.	कभी–कभी	84	26.50
	योग	317	100

www.ignited.in

तालिका क्रमांक - 1 के अध्ययन में प्राचीन रीति रिवाजो, परम्पराओं के पालन के स्तर को स्पष्ट करते हुए आकड़े बताते है कि 69.71 प्रतिशत अनुसूचित जाति की महिलाएं प्राचीन रीति रिवाजो व परम्पराओ का पालन करती है जबकि 3.79 प्रतिशत प्राचीन रीति रिवाजो व परम्पराओं का पालन नही करती तथा शेष 26.50 प्रतिशत महिलाएं प्राचीन रीति रिवाजो व परम्पराओं का पालन कभी-कभी करती है।

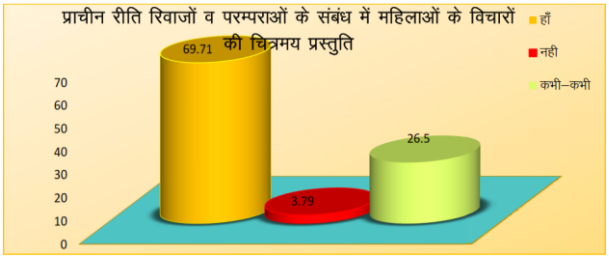

आज का दौर आधुनिक हैं और इस आधुनिक युग में सभी परिवर्तनों का पालन करते हैं किन्तु अब भी ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति की महिलाएं अपने पारंपरिक और सांस्कृतिक मूल्यों के संपर्क में हैं। अतः निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि अधिकांश अनुसूचित जाति की महिलाएं प्राचीन रीति रिवाजो व परम्पराओं का पालन करती है।

उत्तरदाताओं की सामाजिक आयोजनों या बैठकों में सहभागीता की जानकारी

समाजिक कार्य विशेष रूप से समस्या, समाधान एवं परिवर्तन पर होता है। समाजिक कार्य में व्यक्तियों तथा उनके आस-पास कि स्थिति को ध्यान में रखते हुए कल्याणकारी बल के साथ, कौशल, तकनीकों और कार्यकलापों का प्रयोग निहित होता है। इसमें सामाजिक, सामूहिक व शैक्षणिक कार्य, परामर्श जैसे प्रयास होते है। उपरोक्त तथ्यों को निम्न तालिका द्वारा स्पष्ट किया गया है।

तालिका क्रमांक – 2

उत्तरदाताओं की सामाजिक आयोजनों या बैठकों में सहभागीता की जानकारी

क्रमांक	विवरण	आवृति	प्रतिशत
1.	हाँ	134	42.27
2.	नहीं	94	29.66
3.	कभी–कभी	89	28.07
	योग	317	100

अतः तालिका क्रमांक-2 के तथ्यों से विदित होता है कि अनुसूचित जाति की 42.27 प्रतिशत महिलाएं सामाजिक आयोजनों या बैठकों में सहभागी होती है। 29.66 प्रतिशत महिलाएं सामाजिक आयोजनों या बैठकों में सहभागी नही होती है। दुसरी ओर 28.07 प्रतिशत महिलाएं सामाजिक आयोजनों या बैठकों में कभी-कभी सहभागी होती है।

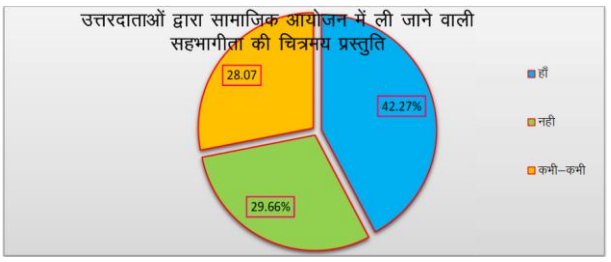

उपरोक्त तालिका के विवरण से निष्कर्ष निकलता है कि अधिकांश अनुसूचित जाति की महिलाएं सामाजिक आयोजनों या बैठकों में सहभागी होती है वही कुछ महिलाएं कभी-कभी ही सही पर सामाजिक आयोजनों या बैठकों में भाग लेती है किन्तु इन महिलाओं का एक हिस्सा आज भी आयोजनो व बैठको से दुर है।

उत्तरदाताओं के विचारानुसार लडकियों के विवाह की आयु का विवरण

आज भी ग्रामीण समुदायों में लडकियों का विवाह कम आयु में ही कर दिया जाता है। जिसके पीछे परिजनो द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि अगर विवाह अभी नही किया गया तो भविष्य में अच्छे रिश्तो की तलाश में दिक्कतो का सामना करना पड़ता है। कानून में लडकियों का विवाह 18 वर्ष की उम्र पूर्ण करने के उपरान्त किए जाने का प्रावधान है।

तालिका क्रमांक - 3

उत्तरदाताओं के विचारानुसार लडकियों के विवाह की आयु का विवरण

क्रमांक	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	18वर्ष से नीचे	00	00
2.	18 से 19 वर्ष	208	65.61
3.	20 वर्ष	65	20.50
4.	21 से 25 वर्ष	36	11.36
5.	25 वर्ष से ऊपर	8	2.53
	योग	317	100

तालिका क्रमांक 3 के तथ्यों से विदित होता है कि 18 वर्ष से नीचे की आयु में विवाह हेतु महिलाएं मौन रही किन्तु 18 से

www.ignited.in

19 वर्ष की आयु में विवाह के लिए अधिकतर 65. 61 प्रतिशत महिलाएं सहमत है जबकि 20 वर्ष में 20.50 प्रतिशत महिलाएं, 21 से 25 वर्ष की आयु में विवाह के लिए 11.36 प्रतिशत महिलाएं एवं 25 वर्ष से ऊपर की आयु में विवाह पर 2.53 प्रतिशत महिलाओं ने सहमति व्यक्त की।

उत्तरदाताओं के विचारानुसार लडकियों के विवाह की आयु के विवरण की चित्रमय प्रस्तुति-

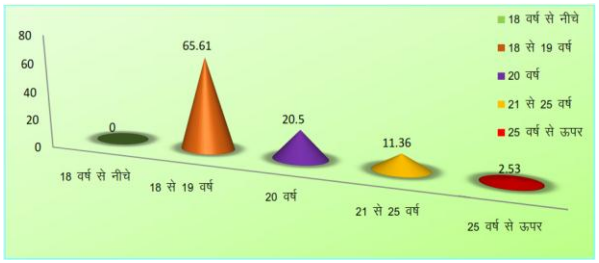

तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है 18 वर्ष से कम आयु में विवाह हेतु एक भी महिला सहमत नहीं है जो परिवर्तन को प्रर्दशित करता है किन्तु एक ओर अधिकांश महिलाओं द्वारा यह भी स्वीकार करना की विवाह 18 से 19 वर्ष के बीच होना चाहिए यह दर्शाता है कि आज भी विवाह का स्थान सर्वोपरि है।

उत्तरदाताओं की दृष्टि में जीवन में सफलता प्राप्ति हेतु महत्वपूर्ण कारक

परिश्रम सफलता की कुंजी है या कहे तो सफलता का मूल मंत्र। किन्तु सफल होने हेतु और भी निर्धारक तत्व होते है जो मनुष्य को सफल बनाते है उन्ही तत्वो में भाग्य, अच्छा चरित्र, उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम व्यवहार, उत्तम पारिवारिक प्रस्थिति, शामिल है। प्रत्येक व्यक्ति अनुसार सफलता के निर्धारक तत्व भिन्न-भिन्न हो सकते है। प्रायः गाँवों के लोग मेहनती होते है साथ ही वह भाग्य हैं। और भाग्य के प्रबल होने की बात सोचते है।

तालिका क्रमांक - 4

उत्तरदाताओं की दृष्टि में जीवन में सफलता प्राप्ति हेतु महत्वपूर्ण कारक

क्रमांक	विवरण	आवृति	प्रतिशत
1.	भाग्य	157	49.53
2.	अच्छा चरित्र	52	16.40
3.	उत्तम स्वास्थ्य	32	10.09
4.	उत्तम व्यवहार	62	19.56
5.	उत्तम पारिवारिक प्रस्थिति	14	4.42
	योग	317	100

तालिका क्रमांक 4 से स्पष्ट होता है कि अनुसूचित जाति की 49.53 प्रतिशत महिलाएं जीवन में सफलता के लिए भाग्य को आवश्यक मानती है, 16.40 प्रतिशत महिलाएं अच्छे चरित्र को तथा उत्तम स्वास्थ्य को 10.09 प्रतिशत महिलाएं आवश्यक समझती है। जबकि उत्तम व्यवहार को 19.56 प्रतिशत महिलाएं, वही उत्तम पारिवारिक प्रस्थिति को 4.42 प्रतिशत महिलाएं जीवन में सफलता के लिए आवश्यक मानते है।

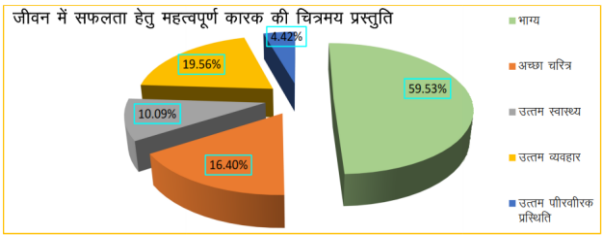

इस प्रकार हम देख सकते है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति की अधिकांश महिलाएं सफलता के लिए भाग्य को सर्वोपरी स्थान देती है। अतः आज भी ग्रामीण समुदायों में कर्म के साथ भाग्य को जुड़ा हुआ माना जाता है। इसी दिशा में उत्तम व्यवहार को भी महिलाओं द्वारा दुसरा सबसे महत्वपूर्ण कारक माना गया है।

उत्तरदाताओं से समाज में पुरूषों के समान मान सम्मान की जानकारी

महिलाओं की उच्च सामाजिक स्थिति व्यक्ति, परिवार, समाज तथा राष्ट्र को सशक्तिशाली बनाते है। सशक्त महिला जो समाज की आधारशिला है, से सशक्त समाज का निर्माण होता है। किन्तु समाज की विडम्बना ही है, कि यहां सैद्धान्तिक रूप से स्वीकृत मानवीय व सामाजिक मूल्यों तथा मान्यताओं का स्वरूप महिलाओं को पुरूषों के समक्ष बराबरी का दर्जा नही देता। भारतीय समाज पितृसत्तात्मक समाज होने के कारण यह दोहरापन और भी अधिक परिलक्षित होता

तालिका क्रमांक 5

उत्तरदाताओं से समाज में पुरूषों के समान मान सम्मान की जनकारी

क्रमांक	विवरण	आवृति	प्रतिशत
1.	हाँ	103	32.50
2.	नही	214	67.50
	योग	317	100

www.ignited.in

तालिका क्रमाकं 5 के तथ्यों से स्पष्ट है कि 103 अर्थात् 32.50 प्रतिशत अनुसूचित जाति की महिलाएं मानती है कि उन्हें समाज में पुरूषों के समान मान-सम्मान मिलता है जबकि 214 अर्थात् 67.50 प्रतिशत महिलाएं मानती है कि उन्हें परिवार में पुरूषों के समान मान-सम्मान नही मिलता है।

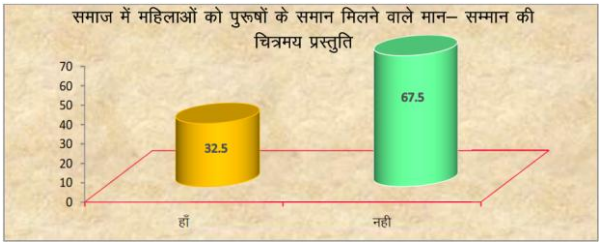

अतः आकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि आज भी समाज में महिलाओं को पुरूषों के समान मान सम्मान नही मिल पाया है और जो महिलाएं मानती है कि उन्हें समाज में पुरूषों के समान मान सम्मान मिलता है उनकी संख्या कम है। देखा जा सकता है कि अनुसूचित जाति महिलाओं की सामाजिक स्थिति निम्न है। अर्थात् इस शोध अध्ययन की दुसरी उपकल्पना अनुसूचित जाति की महिलाओं की सामाजिक स्थिति निम्न हो सकती है सही सिद्ध होती है।

निष्कर्ष-

ग्रामीण क्षेत्रों के अनुसूचित जाति महिलाएं जिन्हें आज भी कई प्रकार के धार्मिक रीति-रिवाजों, कुरितियों रूढ़ियों का पालन करते हुए, लैंगिक भेदभावों निम्न स्तरीय जीवनशैली, सामाजिक असुरक्षा, तथा उपेक्षा का शिकार होना पड़ रहा है। वर्तमान समय में भी महिलाएं पुरूष प्रधान मानसिकता से पीड़ित है। आज भी पुरूष समाज महिलाओं के प्रति अपने दृष्टिकोण को नही बदल पाया है। ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति की अधिकांश महिलाएं सफलता के लिए भाग्य को सर्वोपरी स्थान देती है।

सुझाव-

1. अनुसूचित जाति की महिलाएं के जनजीवन के सामाजिक उत्थान या विकास की संभावनाएं सुनिश्चित करना।

2. महिलाओं के पूर्ण विकास के लिए जरूरी है कि, समाज व खासतारै पर पुरूष अपने विचारों व अपनी मानसिकता में बदलाव लाए, महिलाओं को सहयोग करें उन्हें जागरूक कर उनका उत्साहवर्धन करें।

3. शिक्षा एवं संचार माध्यम विशेष रूप से टेलिविजन, छुआछुत, सामाजिक भेदभाव और जातिवाद की बुराइयों के प्रति जागरूकता लाने में सहायक हो सकता है।

4. इन महिलाओं को नेतृत्व, विश्वास, व प्रोत्साहन की आवश्यकता है।

5. लिंग आधारित भेदभाव को दूर करने के लिए, सामाजिक दृष्टिकोण, सामुदायिक परंम्पराओं व सामूहिक व्यवहार में परिवर्तन लाना।

संदर्भ

1. भारत सरकार (1974) समानता की ओर, भारत में महिलाओं की स्थिति पर समिति की रिर्पोट, समाज कल्याण विभाग, शिक्षा व समाज कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली।

2. इंडिया, (1997) नेशनल कमीशन फॉर शिडयूल्ड कास्ट एंड शिडयूल्ड ट्राइब्स, न्यु दिल्ली, ऐ हेन्ड बुक नई दिल्ली।

3. आहुजा, राम (1999) भारतीय सामाजिक व्यवस्था, रावत प्रकाशन जयपुर, नई दिल्ली।

4. अनिरूद्ध प्रसाद- सामाजिक न्याय एवं राजनीतिक सन्तुलन, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, नई दिल्ली, पृ0 47-48 5

5. अम्बेडकर डॉ. भीमरावः ‘‘अस्पृश्य कौन और क्यो’’ हिन्दी ग्रन्थ अकादमी भोपाल

Corresponding Author

Chandraprabha Mahishwar*

Research Student, Research Center, Government Vishwanath Yadav Tamaskar Snatak Swasashi College, Durg, Chhattisgarh

sweta.mahi11@gmail.com

www.ignited.in